समाहरणालय पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी

(जिला परिवहन कार्यालय)

—: आदेश :—

परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक—38 दिनांक 11.06.2019 के द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019—20 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" हेतु प्राप्त आवंटन कुल 2,20,00,000/— (दो करोड बीस लाख) में से तत्काल प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,पकडीदयाल,पूर्वी चम्पारण को नीचे अंकित राशि उपावंटित की जाती है। —

क्र0	निकासी एवं व्ययन प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रखंड का नाम	मुख्य शीर्ष—3055 सड़क परिवहन—उप मुख्य शीर्ष—00 लघु शीर्ष—199 अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता—उप शीर्ष—0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड़—47—3055001990101 विषय शीर्ष 01013301 सब्सिडी	मुख्य शीर्ष—3055 सड़क परिवहन—उप मुख्य शीर्ष—00 लघु शीर्ष—789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—उप शीर्ष—0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड—47 —3055007890101 विषय शीर्ष 01013301 सब्सिडी	मुख्य शीर्ष—3055 सड़क परिवहन—उप मुख्य शीर्ष—00 लघु शीर्ष—796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना उप शीर्ष—0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड—47 —3055007960101 विषय शीर्ष 01013301 सब्सिडी	कुल योग
1	पकडीदयाल	3,00,000.00	2,00,000.00	-	5,00,000.00
	कुल	**3,00,000.00**	**2,00,000.00**	-	**5,00,000.00**

उपावंटित राशि की निकासी में वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय—समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप में नियंत्रण रखा जा सके। उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जॉच पडताल के बाद हीं किया जाय। यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या—823 दिनांक 05.09.2018 के आलोक में पूरी छान—बीन एवं आवश्यक जॉच के बाद ही किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान नही हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित वाहन निबंधन पुस्त बीमा से संबंधित कागजात एवं बिक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण बीमा संस्था से ऋण लिया गया हो तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के ऋण भुगतान किया जायेगा।

उपावंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता 2011 के संसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जबावदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

उपावंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलबध करा दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नं0— तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलबध कराना सुनिश्चित करें।

Sd/-

जिला पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञापांक ....1193..................../ परि0, दिनांक ..15/06/19........ ।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पकडीदयाल जिला–पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पकडीदयाल,पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– स्थापना उप समाहर्त्ता,पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी को सूचनार्थ एवं CFMS पोर्टल पर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस आवंटन आदेश को पूर्वी चम्पारण के बेवसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

14.6.19

जिला पदाधिकारी

पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।